मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6 /09/2021

क्रमांक 1747/1886/2021/38/1 :: दिनांक 01.01.2009 की स्थिति में सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पदनाम दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 को आयोजित की गई, जिसके अनुक्रम में डॉ. कुमकुम भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक को प्राध्यापक पदनाम विभागीय आदेश दिनांक 13.06.2018 द्वारा प्रदाय किया गया।

2/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1990 में यह प्रावधान है कि ऐसे सहायक प्राध्यापक, जिन्होंने 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर ली है एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 12000-420-18300 प्राप्त कर लिया हो, प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति/पदनाम के पात्र होंगे।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-159/95/ए-1/38, दिनांक 29 अप्रैल, 1999 के द्वारा डॉ. कुमकुम शर्मा (भारद्वाज) को सहायक प्राध्यापक, चित्रकला के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। प्रकरण के परीक्षणोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 01.01.2009 की स्थिति में डॉ. कुमकुम भारद्वाज की कुल सेवा अवधि 13 वर्ष से कम होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-4/2018/38/1, दिनांक 13.06.2018 के द्वारा प्रदत्त 'प्राध्यापक" पदनाम विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

06/09/21
(श्वेता पवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 1748 /1886/2021/38/1

भोपाल, दिनांक 6 /09/2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर,
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल,
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल,
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,

6. प्राचार्य, शासकीय नूतन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर,
7.संबंधित डॉ. कुमकुम भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नूतन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर,
8.आर्डर बुक।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

06/09/21
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग